शेख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

स्टेट बनाम मुरली मनोहर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी

03/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष को प्रा. पत्र 151 सीपीसी पर सुना गया। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01, 02 की ओर से जरिये अभिभाषक द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण में प्रार्थना पत्र इस आशय प्रस्तुत किया गया कि माननीय न्यायालय में वादगत भूमि ग्राम करमीसर, बीकानेर के खसरा नंबर 49/64 तादादी 21.18 बीघा कृषि भूमि बाबत अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्टेट की ओर से पेश किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01, 02 वादगत भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार है तथा स्टेट की कार्यवाही के चलते अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर भूमि सुधार कार्य नहीं करवा पा रहे हैं तथा ना ही उक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग हेतु करवा पा रहे है जिसके कारण प्रार्थीगण को नुकसान/क्षति कारित हो रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का भूरूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग में करवाये जाने बाबत सम्बन्धित कार्यालय में कार्यवाही संस्थित किये जाने पर नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाई जावेगी जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी तथा प्रार्थी की कृषि भूमि की प्रकृति कृषि से अकृषि में उपयोग किये जाने के आदेश सम्बन्धित कार्यालय से जारी होने से प्रार्थीगण के साथ भी न्याय होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से सादर निवेदन है कि उपरोक्त अनवान शीर्षक दावा/अस्थाई निषेधाज्ञा पत्रावली को न्यायहित व लोकहित में सशर्त कृषि भूमि से गैर कृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन की कार्यवाही छुट प्रदान करने बाबत निरस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

Scanned with OKEN Scanner

- उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01, 02 द्वारा यह कथन किया गया कि वर्तमान में वादगत भूमि पर प्रार्थी/प्रतिवादी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गयी है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का भूरूपान्तरण करवाना चाहते है। प्रार्थी अब उक्त रकबे को संपरिवर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र रूप से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगे तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि को संपरिवर्तित करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। **प्रश्नगत भूमि के किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही, उक्त प्रकरण के लंबित रहते होना संभव नहीं है। प्रार्थी उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहता है ।**

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण न्यायालय में राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध वादगत भूमि ग्राम करमीसर, बीकानेर के खाता संख्या 49/64 तादादी 21.18 बीघा भूमि पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत दिनांक 07.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था। **प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01, 02 जरिये अभिभाषक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है तथा वर्तमान में अब प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि को संपरितर्वतन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहते है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं**

अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01, 02 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रेस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि प्रार्थी/प्रतिवादी 01, 02 द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपांतरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो पुनः वाद को रेस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करे। उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 25/3/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)

Scanned with OKEN Scanner